27/4/18	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक------ -- ---18/5/18---------को पेश हो।
18/5/18	पत्रावली का लोक अदालत हेतु चयन किया गया, पक्षकारान को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 12/6/18 केम्प मण्डावरा को पेश हो।
12.6.18	पत्रावली लोक अदालत केम्प मण्डावरा में पेश हुई। प्रार्थी मजमें आम में उपस्थित। प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी ने कथन किये कि विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में सेटलमेंट पूर्व सोहनलाल की पुत्रियां व प्रार्थी की बहिन कृष्णा कुमारी व मोहनी का नाम दर्ज चला आ रहा था, किन्तु सेटलमेंट के दौरान कृष्णा कुमारी को सहवन से कृष्ण मुरारी लिख कर प्रार्थी के पिता के रूप में नाम अंकित कर दिया, जो गलत है। जबकि कृष्णा कुमारी प्रार्थी की बहिन है व पिता का नाम सोहन लाल है। उक्त त्रुटि सेटलमेंट के दौरान सहवन से हुई है। जिसे

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
दुरूस्त किया जाकर विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में कृष्ण मुरारी के स्थान पर कृष्णा कुमारी दर्ज किया जावें। मजमें आम में जवाब सरकार का अवलोकन किया, जिसमें अंकित किया है कि प्रार्थी की बहिन कृष्णा कुमारी का नाम सं0 2036—39 (सेटलमेंट से पूर्व) की जमाबंदी में दर्ज होना पाया गया है। जो वर्तमान जमाबंदी सं0 2071—74 में कृष्णा कुमारी के स्थान पर कृष्ण मुरारी दर्ज हो गया है। मजमें आम में पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचारण किया गया तथा जवाब सरकार में अंकित तथ्यों के समर्थन में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन करनें के उपरान्त विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में सेटलमेंट से पूर्व तथा पश्चात् की प्रविष्टियां भिन्न होना पाया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई उक्त प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण है, जो दुरूस्तनीय है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मण्डावरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 938 रकबा 0.96 हे0, ख0नं0 1037 रकबा 3.79 हे0, ख0नं0 1038 रकबा 0.90 हे0, ख0नं0 1111 रकबा 1.83 हे0, ख0नं0 1114 रकबा 0.36 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित प्रविष्टि कृष्ण मुरारी के स्थान पर कृष्णा कुमारी अंकित किया जावें। तहसीलदार उपरोक्तानुसार अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	